तथ्य पत्र

Racial Discrimination Act (जातीय भेदभाव अधिनियम) के अधीन शिकायतें

Racial Discrimination Act क्या होता है?

Racial Discrimination Act 1975 (Cth) (the RDA) आपकी जाति, आपके रंग, वंश, राष्ट्रीय या संजातीय मूल या आप्रवास स्थिति के कारण आपके साथ अनुचित तरीके से बर्ताव करना गैर-कानूनी बनाता है।
यह जातीय घृणा को भी गैर-कानूनी बनाता है।

इस कानून का प्रयोग कब किया जा सकता है?

आप RDA का प्रयोग सार्वजनिक जीवन के कई क्षेत्रों में उचित बर्ताव प्राप्त करने के लिए कर सकते/सकती हैं:

- **रोज़गार** – नौकरी प्राप्त करना, नौकरी की शर्तें और नियम, प्रशिक्षण, पदोन्नति, नौकरी से खारिज किए जाना।
- **शिक्षा** – गैर-सरकारी या सरकारी स्कूल, कॉलेज या युनिवर्सिटी में नामांकन कराना या पढ़ाई करना।
- **आवास** – घर या युनिट किराए पर लेना या खरीदना।
- **सेवाएँ प्राप्त करना या इसका प्रयोग करना** – जैसे कि बैंकिंग या इंश्योरेंस, सरकारी विभागों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, परिवहन या दूरसंचार सेवाएँ, व्यवसायिक सेवाएँ जैसे कि वकीलों, डॉक्टरों या ट्रेडसपीपल द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ, रेस्टोरेंट, दुकानों या मनोरंजनात्मक स्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ।
- **सार्वजनिक स्थानों की सुलभता** – जैसे कि पार्क, सरकारी कार्यालय, रेस्टोरेंट, होटल या शॉपिंग सेंटर।

जातीय भेदभाव क्या होता है?

जातीय भेदभाव उस परिस्थिति में होता है जब किसी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, उसके रंग, वंश, राष्ट्रीय या संजातीय मूल या आप्रवास स्थिति के कारण किसी समान स्थिति में किसी अन्य की तुलना में कम सहानुभूतिपूर्वक बर्ताव किया जाता है। उदाहरणत:, यदि कोई रिएल एस्टेट एजेंट किसी व्यक्ति को

इसलिए घर किराए पर देने से मना करता है क्योंकि वह किसी विशेष जातीय पृष्ठभूमि से सम्बन्धित हैं या उनकी त्वचा के रंग के कारण ऐसा करता है तो इसे 'प्रत्यक्ष भेदभाव' कहते हैं।

जातीय भेदभाव उस परिस्थिति में भी होता है जब कोई ऐसा नियम या नीति हो जो हर किसी के लिए समान हो परन्तु जिसका किसी विशेष जाति, रंग, वंश, राष्ट्रीय या संजातीय मूल या आप्रवास स्थिति के लोगों पर अनुचित प्रभाव पड़ता हो। इसे 'अप्रत्यक्ष भेदभाव' कहते हैं। उदाहरणत:, यदि कोई कम्पनी कहती है कि कर्मचारियों को काम पर हैट या कोई अन्य टोपी, पगड़ी आदि नहीं पहननी चाहिए तो यह अप्रत्यक्ष भेदभाव हो सकता है क्योंकि यह संभावना है कि इसका कुछ जाति/संजातीय पृष्ठभूमि के लोगों पर अनुचित प्रभाव हो।

जातीय घृणा क्या होती है?

किसी व्यक्ति या लोगों के समूह की जाति, रंग, राष्ट्रीय या संजातीय मूल के आधार पर सार्वजनिक तौर पर कुछ ऐसा करना गैर-कानूनी है जिससे **अपमानित करने, अनादर करने, नीचा दिखाने या डराने-धमकाने** की संभावना हो।

जातीय घृणा की उदाहरणों में निम्नलिखित जातीय संबंधी चीज़ें शामिल हो सकती हैं:

- इंटरनेट पर अपमानजनक सामग्री, इसमें ई-फोरम, ब्लॉग्स, सोशल नेटवर्किंग साइट्स और वीडियो शेयरिंग साइट्स शामिल हैं
- समाचार-पत्रों, मैगज़ीन, पुस्तिकाओं या पत्रिकाओं जैसे प्रकाशनों में अपमानजनक टिप्पणियाँ या तस्वीरें
- किसी सार्वजनिक रैली में अपमानजनक भाषण
- दुकान, कार्यस्थल, पार्क जैसे सार्वजनिक स्थान में, जन परिवहन या स्कूल में अपमानजनक टिप्पणियाँ
- खिलाड़ियों, दर्शकों, कोच या अधिकारियों द्वारा किसी खेलकूद समारोह में अपमानजक टिप्पणियाँ।

जातीय आधार पर किया गया अपमानजनक व्यवहार किस परिस्थिति में गैर-कानूनी नहीं होता है?

RDA स्वतंत्र रूप से संचार करने ('अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता') के अधिकार और जातीय घृणा से मुक्त रहने के अधिकार में संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है। RDA के अनुसार यदि निम्नलिखित **"यथोचित तरीके से और नेक नीयत"** से किया जाए तो यह गैर-कानूनी नहीं है:

- **कलात्मक कार्य या प्रदर्शन** – जैसे कि, कोई नाटक जिसमें किसी चरित्र द्वारा जातीय तौर पर अपमानजनक प्रवृति व्यक्त की जाए।

- **वास्तविक अकादमिक या वैज्ञानिक प्रयोजनों के लिए दिया गया बयान, प्रकाशन, चर्चा या विचार-विमर्श** – जैसे कि, आप्रवास, बहुसंस्कृतिवाद या किसी विशेष समूह के लिए विशिष्ट उपायों जैसी लोक नीति पर चर्चा और विचार-विमर्श करना।
- **जनहित के मामले पर एक निष्पक्ष और सटीक रिपोर्ट करना** – जैसे कि, जातीय तौर पर अपमानजनक व्यवहार के बारे में समाचार-पत्र में एक निष्पक्ष रिपोर्ट।
- **निष्पक्ष टिप्पणी करना**, यदि टिप्पणी व्यक्ति के वास्तविक विश्वास की अभिव्यक्ति हो।

यदि मेरे साथ भेदभाव या जातीय घृणा की घटना होती है तो मैं क्या कर सकता/सकती हूँ?

आप सीधे इसमें शामिल व्यक्ति या लोगों के साथ इस मामले को प्रकट करना चाह सकते/सकती हैं।

यदि इससे समाधान नहीं होता है, या आप ऐसा करने में सहज महसूस नहीं करते/करती हैं, तो आप ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग को शिकायत कर सकते/सकती हैं। आप अपनी ओर से किसी सॉलिसिटर, एडवोकेट या ट्रेड युनियन को शिकायत करने के लिए कह सकते/सकती हैं।
आयोग को शिकायत करने का कोई खर्च नहीं होता है।

आपकी शिकायत लिखित में होनी चाहिए। आयोग का एक शिकायत फॉर्म होता है जिसे आप भर सकते/सकती हैं और हमें डाक से भेज सकते/सकती हैं या फैक्स कर सकते/सकती हैं या आप हमारी वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते/सकती हैं। यदि आप लिखित में अपनी शिकायत करने में सक्षम नहीं हैं, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं।
आपकी शिकायत के वैध होने के लिए, यह यथोचित तौर पर तर्क योग्य होना चाहिए कि जिन घटनाओं की आप शिकायत करना चाहते/चाहती हैं वे गैर-कानूनी भेदभाव हों और आपको अपने आरोपों के बारे में पर्याप्त विवरण देने चाहिए, इसमें शामिल है: क्या घटना घटी है, घटना कब और कहाँ घटी है और इसमें कौन-कौन शामिल था।
शिकायत किसी भी भाषा में की जा सकती है। यदि आपको किसी अनुवादक या दुभाषिए की ज़रुरत है, तो हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं।

मैं और अधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त कर सकता/सकती हूँ?

ऑस्ट्रेलियाई मानवाधिकार आयोग के संपर्क विवरण हैं:

टेलीफोन

राष्ट्रीय सूचना सेवा: 1300 656 419 या (02) 9284 9888

TTY: 1800 620 241 (टोल फ्री)

फैक्स: (02) 9284 9611

डाक

GPO Box 5218
Sydney NSW 2001

ऑनलाइन

ई-मेल: infoservice@humanrights.gov.au

वेबसाइट: www.humanrights.gov.au

आप ऑनलाइन तरीके से शिकायत कर सकते/सकती हैं
www.humanrights.gov.au/complaints_information/online_form/index.html.

यदि आप बोलने या सुनने की समस्या से पीड़ित हैं तो आप 1800 620 241 पर TTY द्वारा हमसे संपर्क कर सकते/सकती हैं। यदि आपको Auslan दुभाषिए की ज़रुरत है, तो हम इसकी व्यवस्था कर सकते हैं।
यदि आप नेत्रहीन हैं या दृष्टि संबंधी किसी समस्या से ग्रस्त हैं, तो हम निवेदन किए जाने पर वैकल्पिक फॉर्मेट्स में सूचना प्रदान कर सकते हैं।

जातीय घृणा की शिकायतों के लिए अन्य संपर्क स्थान

यदि आप मीडिया में अपमानजनक कहानियों, प्रसारण या ऑनलाइन विषय-वस्तु को लेकर चिंतित हैं, तो आप Australian Communications and Media Authority (ACMA) को शिकायत कर सकते/सकती हैं; विज्ञापनों के लिए Advertising Standards Board (विज्ञापन मानक बोर्ड) को; या समाचार-पत्रों में दी गई कहानियों के लिए ऑस्ट्रेलियाई प्रैस काउंसिल को शिकायत कर सकते/सकती हैं। आप मीडिया संस्था के संपादक या प्रबंधक को भी शिकायत कर सकते/सकती हैं।
यदि आप पड़ोसियों के अपमानजनक व्यवहार को लेकर चिंतित हैं, तो आप समस्या का समाधान करने के लिए Community Justice Centre से, या यदि आप पब्लिक हाउसिंग में रहते/रहती हैं तो Department of Housing से संपर्क कर सकते/सकती हैं।

यदि आपको हिंसात्मक रुप से डराया-धमकाया जाए या आप पर हिंसात्मक हमला किया जाए तो पुलिस के पास जाएँ।

सामान्य कानूनी सलाह

यदि आप शिकायत करने के बारे में सोच रहे/रही हैं, तो आप कानूनी सलाह लेना या अपनी ट्रेड यूनियन से संपर्क करना चाह सकते/सकती हैं। सामुदायिक कानूनी सेवाएँ भेदभाव और उत्पीड़न से सम्बन्धित नि:शुल्क परामर्श प्रदान कर सकती हैं। आपके करीबी सामुदायिक कानूनी केन्द्र के संपर्क विवरण www.naclc.org.au/directory पर प्राप्त किए जा सकते हैं।

अस्वीकरण: इस तथ्य पत्र में दी गई सूचना का उद्देश्य केवल एक संदर्शिका प्रदान करना है। यह कानूनी सलाह का स्थान नहीं ले सकती है।

April 2020